



# अधिकारों की रक्षा

## सिर पर मैला ढोना



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

## सिर पर मैला ढोना

सिर पर मैला ढोना न केवल मानव अधिकारों का हनन है बल्कि सामान्य रूप से मानव गरिमा और मानवता के लिए अपमान की बात है यद्य पि अस्पृश्यता का संवैधानिक रूप से उन्मूलन कर दिया गया है, फिर भी सिर पर मैला ढोना अस्पृश्यता को बनाए रखने का अपरिहार्य कारण बन रहा है। मानव मल के निपटान के ढंग के रूप में अस्वीकार्य और संकटपूर्ण होने के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास जिससे शारीरिक श्रम बचता है, के बावजूद और सिर पर मैला ढोना और मानव मल के सुरक्षित निपटान की दोहरी समस्या को दूर करने के लिए आसान और कम लागत के विकल्पों की उपलब्धता के बावजूद भारत में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

### ‘सिर पर मैला ढोना’ (Manual Scavenging) की परिभाषा

सिर पर मैला ढोना सबसे अधिक अमानवीय और अपमानजनक कार्यों में से एक है जिसमें व्यक्ति के मानव मल को हटाने या ले जाने का कार्य करना पड़ता है। इस अमानवीय और घृणित काम से अपनी जीविका कमाने वाले को सिर पर मैला ढोने वाला कहा जाता है जो मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का शिकार है।

वह औजार जिससे सिर पर मैला ढोने वाला काम करता है झाड़ू, टीन की प्लोट, टोकरी/बाल्टी या लोहे का ड्रम होता है जिससे मल को मल निपटान क्षेत्र में ले जाकर डाल दिया जाता है।

### सिर पर मैला ढोने के कारण

गरीबी और व्यक्ति की जाति सिर पर मैला ढोने का मुख्य कारण है। ज्यादातर सिर पर मैला ढोने वाले लोग अनुसूचित जातियों के हैं; उन्हें अपनी जाति में भी सबसे नीचे का स्थान दिया जाता है। सिर पर मैला ढोने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सिर पर मैला ढोना पुश्त दर पुश्त चलता रहता है। प्रायः इन परिवारों की महिलाएं सिर पर ढोने का काम करती हैं और यह संभावना बनी रहती है कि इन परिवारों के बच्चे भी सिर पर मैला ढोएंगे।

## **सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या**

देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या अनिश्चित है। विश्वसनीय आधार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जुलाई 1989 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल के अनुमान के अनुसार देश में मार्च 1991 तक चार लाख से अधिक लोग सिर पर मैला ढोने वाले थे। इनमें से 83 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 17 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे तथा 35 प्रतिशत सिर पर मैला ढोने वाली महिलाएँ थीं। ये आंकड़े केवल अनुसूचित जातियों के हैं।

मार्च 2003 को सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा आंकित आंकड़ों के अनुसार सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या 6.76 लाख है।

## **सिर पर मैला ढोना - स्वास्थ्य के लिए खतरा**

सिर पर मैला ढोना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। घटिया सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के अभाव में यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचलित है। शहरी क्षेत्रों में सिर पर मैला ढोने वाले प्रायः सुरक्षा गियर के बिना ही मैनहोल की सफाई का कार्य भी करते हैं। कार्बन मोनोक्साइड के जहरीले प्रभाव से कई मौत होने की रिपोर्ट मिली हैं।

सिर पर मैला ढोना स्पष्ट रूप से सभी संबंधित लोगों जिनके ऊपर यह सेवा प्रदान की जा रही है और सिर पर मैला ढोने वाले लोगों के लिए भी एवं उस क्षेत्र में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। सिर पर मैला ढोने वाला मल को इकट्ठा कर उसे नाल/नदी या अन्य किसी जलाशय या निपटान स्थल में डाल देता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले सभी लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शुष्क शौचालय/सेवा शौचालय पद्धति से निपटान के स्थान पर कीड़े और जीवाणु पनपते हैं और सिर पर मैला ढोने वालों द्वारा मानव मल को जिस रास्ते से ले जाया है वहाँ बदबू फैलती है। ऐसी परिस्थितियों से आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्षोभ और स्वास्थ्य का खतरा पैदा होता है।

## **सांविधानिक और वैधानिक सुरक्षोपाय**

### **सांविधानिक प्रावधान**

सिर पर मैला ढोना मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है और मानव की गरिमा और महत्त्व पर आक्रमण है। यह इस देश में संविधान द्वारा प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी का उल्लंघन करता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जीने के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 21 को गरिमापूर्ण जीने के रूप में परिभाषित किया गया है।

### **विधान**

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) में मानव अधिकारों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: “संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों में समाविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता, वैयक्तिक गरिमा के अधिकार”।

24 जनवरी 1997 को सिर पर मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को अधिसूचित किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई राज्यों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है।

### **इस अधिनियम के उद्देश्य**

इस अधिनियम को सिर पर मैला ढोने के समाप्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित का निषेध किया गया है:-

- सिर पर मैला ढोने वालों को नियुक्त करना या लगाना।
- शुष्क शौचालय का निर्माण या अनुरक्षण।

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला हर व्यक्ति संज्ञेय (cognizable) अपराध का दोषी होगा। ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि तक के लिए जेल और ₹० 2000 तक का जुर्माना या दोनों ही किए जा सकते हैं।

इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

- शुष्क शौचालयों की जल-बंध (water sealed) शौचालयों में बदलने की विभिन्न योजनाएं तैयार करना।
- नए जल-बंध शौचालयों का निर्माण करना।
- स्थानीय निकायों और अन्य अभिकरणों को नए और वैकल्पिक कम लागत के वैकल्पिक सफाई प्रबंधों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।
- सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और अनुरक्षण करना तथा ‘ऐसा दो और प्रयोग करो’ आधार पर उनका प्रयोग।
- गंदी बस्तियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के हितलाभ हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा अनुरक्षण करना।
- सिर पर मैला ढोने वालों का पंजीकरण और उनका पुनर्वास करना।
- जल-बंध शौचालयों के निर्माण या शुष्क शौचालयों को जल-बंध शौचालयों में बदलने के लिए आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड या अन्य अभिकरणों द्वारा वित्तीय पोषण करना।

### राज्यों का दायित्व

केन्द्रीय विधान के अनुसार, राज्यों से या तो इस अधिनियम का अंगीकार करने या विधानसभा द्वारा परित अपना स्वयं का विधान बनाने की अपेक्षा की जाती है। अभी तक, 26 राज्यों ने या तो इस अधिनियम को अंगीकार कर लिया या अपने कानून बना लिए हैं। यह राज्यों का दायित्व है कि वे इस अधिनियम का कार्यान्वयन करें। लेकिन इस अधिनियम को अपनाने वाले राज्यों ने भी शुष्क शौचालयों को जल-बंध शौचालयों में बदलने और

सिर पर मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए अनिवार्य अधिसूचना जारी कर इसके प्रवर्तन हेतु कार्यवाही नहीं की जिससे शुष्क शौचालयों के मालिकों के लिए ऐसा करना जरूरी हो सके। इतना कहना काफी है कि इन परियोजनाओं के परिवीक्षण में ठील बरती जा रही है।

निम्नलिखित राज्यों ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके राज्यों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा या पूरी तरह से समाप्त की जा चुकी है या शुष्क शौचालयों के न होने के कारण यह प्रथा अब प्रचलित नहीं है।

असूरणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोआ, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और तमिलनाडु।

### **सरकार द्वारा की गई कार्यवाही**

प्रधानमंत्री की उद्घोषणा के अनुपालन में योजना आयोग ने सिर पर मैला ढोने को 2007 तक पूरी तरह से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार की है। जल-बंध शौचालयों के निर्माण और सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और प्रशिक्षण हेतु एकीकृत परियोजना शुरू की गई।

### **केन्द्र प्रायोजित योजना**

सरकार द्वारा जिन दो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को शुरू किया गया है जो इस प्रकार है :

- (i) सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत वाली सफाई परियोजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालयों की कम कीमत के फलश शौचालयों में बदलना और इस काम से बाहर निकाले गए सिर पर मैला ढोने वाले को वैकल्पिक रोज़गार मुहैया कराना है। राज्यों को जल-बंध शौचालयों का निर्माण करने के लिए ऋण/आर्थिक सहायता जैसी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार या नेहरू रोज़गार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं द्वारा मुहैया कराई गई आर्थिक सहायता से राज्य सरकारों द्वारा इस परियोजना में सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों का एक साथ पुनर्वास किया जाता है।

हुडको एकीकृत कम लागत सफाई, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना, शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर रहने वालों की आवास और सफाई सुविधाओं की सरकारी कार्य योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये सभी परियोजनाएँ जल-बंध शौचालयों के प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। हुडको ने अपनी सभी आवासीय परियोजनाओं में फ्लश शौचालयों को मुहैया कराया है। गंदी बस्ती विकास योजनाओं में भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खुले में शौच को रोकने के लिए निवासियों को सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएं।

(ii) सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों (एन.एस.एस.आर.एस.) को मुक्ति और पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय परियोजना :

सिर पर मैला ढोने वालों को अपने वंशानुगत घृणित और अमानवीय व्यवसाय से मुक्त कराने और 5 वर्षों की अवधि में उन्हें वैकल्पिक और गरिमापूर्ण व्यवसाय में लगाने हेतु मार्च 1992 में एक परियोजना शुरू की गई।

इस परियोजना में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है:-

- सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की पहचान करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम।
- राज्य सरकारो, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य अर्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के नजदीकी प्रशिक्षण संस्थाओं पर सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के लिए पहचान किए गए व्यवसायों में प्रशिक्षण।
- सिर पर मैला ढोने वालों को आर्थिक सहायता, मार्जिन मनी ऋण और बैंक ऋण मुहैया करा कर विभिन्न व्यवसायों और पेशों में पुनर्वास करना।
- स्वयं स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय निकायों से संबंधित सेवाओं में उन लोगों को लगाकर उनका पुनर्वास करना जो सिर पर मैला ढोते हैं।

- स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किए गए सिर पर मैला ढोने वालों के आश्रितों समेत प्राइवेट सफाई वालों और उनके आश्रितों को पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को उनकी रुचि और स्थानीय ज़स्तरतों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण देना। वैकल्पिक और गरिमापूर्ण व्यवसायों को अपनाने के लिए सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में प्रोत्सहान।
- सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के अनुसार, एन.एस.एल.आर.एस. के अन्तर्गत 1,56,488 सिर पर मैला ढोने वालों के प्रशिक्षण और 4,08,644 के पुर्नवास हेतु रु० 671.19 करोड़ की राशि 2001-02 तक सहायता के रूप में दी गई है।
- अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन करने में सिर पर मैला ढोने वालों को पेश आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए 2000-01 के दौरान सिर पर मैला ढोने वालों को समूहों के अन्तर्गत गठित कर सैनट्री मार्टों को चलाने की अवधारणा का विकास किया गया। सैनट्री मार्टों को सभी प्रकार की गतिविधियाँ जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं, के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा ऐसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों पर मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की परियोजना भी लागू की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत सिर पर मैला ढोने, चमड़ा उतारने और चर्म-शोधन जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों को मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है।